

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण

संख्या-प0नि0 30-140/2021 3000
प्रेषक,



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
नवादा।

पटना, दिनांक-9.8.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 सहायक मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-1614/पं0, दिनांक-02.08.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त संशोधित मतदान केन्द्र के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वारसलीगंज	1	0	1	
	कुल	1	0	1	

2. संदर्भित पत्र के अनुसार वारसलीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत दोसुत के वार्ड सं0-1(अंशतः) नगर पंचायत वारसलीगंज में चला गया है। पूर्व से अनुमोदित म0के0सं0-129, उत्कर्मित मध्य विद्यालय चैनपुरा का मतदान स्थल नगर परिषद वारसलीगंज के सीमा में चला गया। उक्त मतदान केन्द्र पर ग्राम वेगराजपुर के 129 मतदाता अवशेष ग्राम पंचायत दोसुत के रह गये। अतः ग्राम वेगराजपुर के ही अवशेष 129 मतदाता के लिए ग्राम में अवस्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, वेगराजपुर में मतदान केन्द्र संशोधन का प्रस्ताव प्रपत्र-2 में प्राप्त हुआ है जिसका म0के0सं0-129 ही रहेगा। म0के0सं0-129 नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, वेगराजपुर मतदान केन्द्र संशोधित समझा जाए।

3. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन

सचिव।

पटना, दिनांक-9.8.21/-

ज्ञापांक-3000/-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित मतदान केन्द्र की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करे।

सचिव।

32

प्रपत्र-2

आयोग के अनुमोदन हेतु भोजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची।

जिला - नवादा		प्रखण्ड- वारिसलीगंज								ग्राम पंचायत- दोसुत		
क्र० सं०	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधित हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रॉनिटो सं०)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की सं० (..... से..... तक)	गवर्न सरकारी/ अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं	गवर्न में कुल कगरी की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाले अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं विकास की अलग अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्गम्य होकर आ जा सकते हैं अथवा नहीं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	192	30 म० वि० चैनपुरा, उत्तरी भाग	नवसृजित प्रा० वि० वेगराजपुर	नगर परिषद वारिसलीगंज के नवगठन के कारण ग्राम पंचायत दोसुत के वार्ड नं० 01 (अशत) भाग नगर परिसर वारिसलीगंज में चला गया है। वार्ड नं० 01 के मतदान केन्द्र संख्या 192 30 म० वि० चैनपुरा उत्तरी भाग अब नगर परिषद सीमांकन के भीतर चले गये हैं। इसलिए वार्ड सं० 01 के वच्चे 129 मतदाता जो वेगराजपुर के ग्रामीण हैं के लिए नया मतदान केन्द्र नवसृजित प्रा० वि० वेगराजपुर में बनाये जाने की आवश्यकता है।	वेगराजपुर 01	601-613 तक 615-725 तक 727-731 तक कुल-129 मतदाता	सरकारी	2	200 मीटर	हाँ	हाँ	नगर परिषद वारिसलीगंज के नवगठन के कारण ग्राम पंचायत दोसुत के वार्ड नं० 01 (अशत) भाग नगर परिसर वारिसलीगंज में चला गया है। वार्ड नं० 01 के मतदान केन्द्र संख्या 192 30 म० वि० चैनपुरा उत्तरी भाग अब नगर परिषद सीमांकन के भीतर चले गये हैं। इसलिए वार्ड सं० 01 के वच्चे 129 मतदाता जो वेगराजपुर के ग्रामीण हैं के लिए नया मतदान केन्द्र नवसृजित प्रा० वि० वेगराजपुर में बनाये जाने की आवश्यकता है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित
 09/08/20
 राज निर्वाचन आयोग, बिहार

जिला पदाधिकारी, नवादा
 -सह-
 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)